

!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस-नोट

दिनांक:- 11.01.2019

➤ **207 पब्ले अवैध देशी शराब जप्त, 03 आरोपी गिरफ्तार -**

पुलिस अधीक्षक करौली, श्रीमति प्रिति चन्द्रा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 10.01.2019 को थाना सदर करौली व कोतवाली करौली के द्वारा कार्यवाही करते हुये 207 पब्ले अवैध देशी शराब जप्त कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

थाना सदर करौली -

1. दिनांक 10.01.2019 को प्रेमसिंह हैडकानि0 89 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हनुमान मन्दिर के पास मौजा गुडला में अवैध देशी शराब लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी ज्ञानसिंह पुत्र कुंदन जाति जाटव निवासी धुरसीकापुरा तन सूरौठ को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 57 पब्ला देशी शराब के जप्त कर अभियोग संख्या 07/19 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।
2. दिनांक 10.01.2019 को कम्पोटर सिंह हैडकानि0 1618 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति डूंडापुरा मोड के पास में अवैध देशी शराब लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी विजय पुत्र सुआलाल जाति मीना निवासी डूंडापुरा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 60 पब्ला देशी शराब के जप्त कर अभियोग संख्या 08/19 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।

थाना कोतवाली करौली -

3. दिनांक 10.01.2019 को ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अटल सेवा केन्द्र के सामने पांचना पुल के पास अवैध देशी शराब बेच रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी रामवीर पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी माढई थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 90 पब्ला देशी शराब के जप्त कर अभियोग संख्या 22/19 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।

➤ **शांतिभंग करने पर तीन व्यक्ति गिरफ्तार -**

थाना नादौती -

1. दिनांक 10.01.2019 को हेतराम हैडकानि0 10 के द्वारा दौराने गश्त कस्बा नादौती में बस स्टेण्ड के पास में लडाई-झगडा कर, गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने व पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर नही मानने पर आरोपी 1. असलम पुत्र अल्लानूर 02. रहीश पुत्र बत्तू जातियान मुसलमान निवासीयान नादौती को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।
2. दिनांक 10.01.2019 को यतेन्द्र कुमार हैडकानि0 1538 के द्वारा दौराने गश्त कस्बा नादौती में बस स्टेण्ड के पास में लडाई-झगडा कर, गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने व पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर नही मानने पर आरोपी 1. राजकुमार पुत्र हरकेश जाति मीना निवासी सोप थाना नादौती को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।